न्यायालय जिला कलक्टर हनुमनगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या–:05 / 2017

अमर सिंह पुत्र श्री अर्जुन राम जाति जाट निवासी 2 केएनजे मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2017 न्यायालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ जिसकी रूह से अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार 2 केएनजे का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने उक्त अपील।

उपस्थितः–1.श्री विनोद पारीक वकील अपीलान्ट
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–17.01.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को प्रत्यर्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार 2 केएनजे ग्राम पंचायत मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ का प्राधिकार पत्र कमांक 154 / 2001 दिनांक 20.02.2001 को जारी किया गया था। अपीलान्ट द्वारा उक्त लाईसेंस पर अपने कार्य का निर्वहन पूर्णतया विधिक प्रावधानो के अनुसार एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर किया जा रहा था। दिनांक 18.07.2017 की प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ द्वारा अपीलान्ट की उक्त उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गेहूँ एवं कैरोसीन की जांच की गई जो जांच को सही मानते हुए अपीलान्ट को पुनः वितरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उक्त जांच के पश्चात दिनांक 24.07.2017 को प्रत्यर्थी द्वारा अपने कार्यालय आदेश कमांक रसद/2017/8036–40 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा निलम्बित किया जाकर दिनांक 24.07.2017 को अपने पत्र कमांक रसद/2017!8083–87 को वितरण व्यवस्था हेतु हनुमानगढ कैटरिंग सहकारी समिति को अस्थाई तौर पर अधिकृत किया गया तथा दिनांक 26–7.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भारी अनियमितता मानते हुए पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/2017 दर्ज करवाई गई तथा दिनांक 30.10.2017 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्र कमांक रसद/2017/9907–08 दिनांक 30.10.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट एवं अभिलेख की तलबी की गई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

दोनो पक्षो के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 18.07.2017 को किया। निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नही पाई गई थी। अपीलान्ट की दुकान में गेहूँ एवं कैरोसीन अभिलेख के अनुसार सही पाया गया। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान में किसी प्रकार की अनियमितता नही पाई जाने अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण करता रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट के पश्चात राजनीतिक दबाव में अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.07.2017 को निलम्बित किया गया। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का 90 दिवस की अवधि तक उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। 90 दिवस की अवधि तक निस्तारण नही किया जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र बहाल समझा जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय उक्त आदेश को ध्यान में नही रखते हुए राजनीतिक दबाव के कारण 90 दिवस के पंश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 580 किलो गेहूँ व 1125 लीटर केरोसीन का अनुचित ट्रांजेक्शन मानकर अपीलांट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही की गई है। प्रर्वतन निरीक्षक ने कुछ राशन कार्ड धारक जो राज्य सरकार की नीति के अनुसार गेहूँ अथवा कैरोसीन के पात्र नही थे तथा कुछ धारको द्वारा पुलिस जांच में उनको गेहूँ एवं कैरोसीन पूर्णतया सही मिलने का कथन किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2016 के अनुसार वितरण राशन कार्ड को ही अनिवार्य नही माना है। भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड पर पोस मशीन द्वारा वितरण किये जाने की सुविधा की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने के बाद कोई नोटिस नही दिया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने एक तरफा निर्णय किया गया है जो विधि सम्मत नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच में वितरण में अनियमितताऐ पाई जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट के पश्चात राजनीतिक दबाव में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने एक तरफा निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कर्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 17.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official